कार्यालय म०प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड

26 किसान भवन अरेरा हिल्स जेल रोड भोपाल

क्रमांक/बोर्ड/लेखा/पेंशन/988/23-24/2154 भोपाल दिनांक-21/11/2023

प्रति

संयुक्त संचालक/उपसंचालक

म०प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड

आंचलिक कार्यालय ....(समस्त) म०प्र० ।

विषय- पेंशनरों के जीवन प्रमाण-पत्र के संबंध में ।

---ooo---

विषयांतर्गत म०प्र० सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों द्वारा पेंशन भोगियों को पेंशन भुगतान के लिये वर्ष में एक बार माह नवम्बर में परिशिष्ट चार में विहित फार्म में जीवन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा। इस प्रयोजन के लिए सार्वजनिक क्षेत्र बैंक के अधिकारी जीवन प्रमाण-पत्र देने के लिए अधिकृत है।

कोषालय संहिता के स.नि.200 के अनुसार पेंशन भोगी, जो निम्नलिखित में से किसी प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित जीवन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करता है अथवा बायोमेट्रिक पद्धति से अपने जीवित होने का प्रमाण प्रस्तुत करता है, को व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट होगी:-

1. राजपत्रित अधिकारी
2. कार्यपालिक दण्डाधिकारी
3. कोषालय/उप-कोषालय/सहायक कोषालय अधिकारी
4. भारतीय रिज़र्व बैंक या अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक का अधिकारी

अतः आंचलिक कार्यालयों के अधिनस्थ मंडी समितियों के अंतर्गत राज्य मंडी बोर्ड सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारियों के उपरोक्तानुसार सक्षम प्राधिकारी से सत्यापित जीवन प्रमाण-पत्र दिनांक 30.11.2023 के पूर्व मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।

अपर संचालक(वित्त)

म०प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड

भोपाल